उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-31/742/एक-1-2016-20(5)/2016
लखनऊः दिनॉकः 03 जून, 2016

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-219 के अधीन शक्ति का प्रयोग और अधिसूचना संख्या-180/एक-1(43)/1994, दिनांक 30 मई, 1994 का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश के मण्डलायुक्तों को उक्त अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 89 की उपधारा (2) में यथा उल्लिखित उत्तर प्रदेश में 5.0586 हेक्टेअर से अधिक औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि के मानक अनुसार क्रय करने के लिए अनुमति प्रदान करने की उक्त अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति, यदि ऐसा संक्रमण केवल उद्योगों की स्थापना के प्रयोजन के लिए लोकहित में हो, प्रतिनिहित करते है।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

shasnadesh.up.nic.in